Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, बिलासपुर को बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत 18.245 हे. एवं मरवाही वनमंडल अंतर्गत 10.566 हे. कुल 28.811 हे. संरक्षित एवं राजस्व वन भूमि केंवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर मार्ग निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा निम्न शर्तों के अधीन के अधीन की जाती है :– **आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, बिलासपुर द्वारा बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत 18.245 हे., मरवाही वनमंडल अंतर्गत 10.566 हे. वन भूमि केंवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 28.811 हे. प्रभावित वनभूमि में सेड्यूल–1 के वन्यप्राणियों का आवागमन होता है इसलिए वन्यप्राणियों के आवागमन हेतु आवश्यकता अनुसार अण्डरपास एवं ओव्हरपास तथा वनक्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के पक्षियों की उपस्थिति है। अतः वन्यप्राणी योजना एवं वनक्षेत्रों में पाये जाने वाले पक्षियों के संर्वधन हेतु विस्तृत पक्षी संवर्धन योजना आवेदक संस्थान के व्यय से प्रस्तावित करते हुए वनभूमि प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की जाती है।**

Signature

Date : 03 -03-2023

Place : Raipur

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary,

C.G. Govt.,

Forest & Climate Change Department

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Deptt. of Forest & Climate Change
Mantralaya, Nawa Raipur

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–04/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 7 /03/2023

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ 492015 ।

विषयः – बिलासपुर जिले के मरवाही एवं बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Chief Engineer PWD NH Raipur, Chhattisgarh द्वारा Rehabilitation & Upgrading to 2/4 laning with paved shoulder Under corridor Scheme on EPC Basis of Keonchi to Ratanpur Section on NH-45(Ex.) in the State of Chhattisgarh हेतु क्षेत्रफल 28.811 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव ।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–893/295, दिनांक 08.02.2023 ।

––00––

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, बिलासपुर द्वारा बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत 18.245 हे.,मरवाही वनमंडल अंतर्गत 10.566 हे. कुल 28.811 हे. संरक्षित एवं राजस्व वन भूमि केंवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर मार्ग निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित भाग–1 में प्रस्तुत किया है।	1 – 3

वन मंडलवार वन भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	वनमंडल	संरक्षित वन (हे.)	राजस्व वन (हे.)	योग
1	बिलासपुर	12.366	5.879	18.245
2	मरवाही	9.402	1.164	10.566
	योग	**21.768**	**7.043**	**28.811**

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –** वनमंडलाधिकारी बिलासपुर द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक–FP/CG/ROAD/126719/2021 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है, पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 29,000 रूपये जमा कराया गया है जिसकी पुष्टि कार्यालयीन पत्र दिनांक 12.08.2021 से हो जाती है।	4 – 25
3	**वन क्षेत्र का विवरण –** बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत 18.245 हे. मरवाही वनमंडल अंतर्गत 10.566 हे. वन भूमि केंवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 28.811 हे. संरक्षित एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	26 – 39

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण –** केंवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर निर्माण हेतु वनमंडलवार निम्नानुसार गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है:– क्र. | वनमंडल | गैर वन भूमि का विवरण (हे. में) 1 | बिलासपुर | 39.694 2 | मरवाही | 47.061 योग | | **86.755**	44 – 78
5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर –** प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	79 – 87
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –** वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	88 – 91
7	**प्रपत्र–4 में प्रस्ताव –** प्रपत्र–4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत 18.245 हे. मरवाही वनमंडल अंतर्गत 10.566 हे. वन भूमि केवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 28.811 हे. मार्ग निर्माण के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 513.07 करोड़ बतायी गई है।	92 – 102
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –** बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत 18.245 हे. मरवाही वनमंडल अंतर्गत 10.566 हे. वन भूमि केवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 28.811 हे. वन भूमि के लिए प्रस्ताव का विस्तृत टीप संलग्न है।	103 – 110
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –** यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।	111 – 112
10	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।	113 – 114
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र –** भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 22.08.2013 की प्रति संलग्न किया है तथा प्रकरण में पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है।	115 – 124
12	**वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र–अ एवं ब में) –** आवेदित क्षेत्र में विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या वनमंडलवार निम्नानुसार है:– क्र. | वनमंडल का नाम | साईट क्वालिटी | विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या 1 | बिलासपुर | IVA | 1948 2 | मरवाही | IVA | 2679 योग | | | **4627**	125 – 183
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –** परियोजना का बिलासपुर एवं मरवाही वनमंडल का पृथक–पृथक कास्ट बेनीफिट एनालिसिस संलग्न है।	184 – 193
14	**चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) –राजस्व वन क्षेत्र –** प्रस्तावित परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रभावित नहीं होने से आवश्यक नहीं है।	194 – 196
15	**गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –** प्रस्तावित परियोजना हेतु गैर वन क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं।	197 – 246

क्रमशः 3

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** आवेदित वन भूमि बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत 18.245 हे. मरवाही वनमंडल अंतर्गत 10.566 हे. वन भूमि केवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 28.811 हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि मरवाही वनमंडल के पण्डरी कक्ष क्रमांक 2047 अंतर्गत 61.414 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित है। 10 वर्षीय सिंचित परियोजना प्रतिवेदन 8,78,787/– प्रति हे. की दर से तैयार किया गया है। वनखण्डवार, कक्षवार एवं रकबावार जानकारी प्रस्ताव में संलग्न है।	247 – 275
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर एवं मरवाही वनमंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।	276 – 282
18	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण –** वनमंडलाधिकारी बिलासपुर एवं मरवाही वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	283 – 284
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –** बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	285 – 286
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –** बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	287 – 288
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –** आवेदित वन भूमि बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत 18.245 हे. मरवाही वनमंडल अंतर्गत 10.566 हे. वन भूमि केवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 28.811 हे. के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये 61.414 हे. प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण परियोजना भारत सरकार का होने एवं नियम 2022 लागू होने के पूर्व का प्रकरण होने के कारण दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है अतएव मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	289 – 290
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –** प्रस्तावित परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण आवश्यक नहीं। वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	291 – 292
23	**रिक्लेमेशन प्लान –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। वनमंडलाधिकारी बिलासपुर एवं मरवाही वनमंडल एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	293 – 294
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। वनमंडलाधिकारी बिलासपुर एवं मरवाही वनमंडल एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	295 – 296
25	**व्यवस्थापन प्लान –** प्रस्ताव में किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	297 – 298
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) –** प्रपत्र–3 पर वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल द्वारा दिनांक 07.02.2022 को, मरवाही वनमंडल द्वारा दिनांक 19.02.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी बिलासपुर एवं मरवाही के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा दिनांक 27.12.2022 को प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।	299 – 322

क्रमशः : 4

Rajiv

<table>
<tr><th>बिंदु क्र.</th><th>विवरण</th><th>संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप</th></tr>
<tr><td>27</td><td>ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वनमंडलाधिकारी बिलासपुर, मरवाही वनमंडल तथा यूजर एजेंसी का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।</td><td>323 – 329</td></tr>
<tr><td>28</td><td>संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –
संबंधित ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।</td><td>330–354</td></tr>
<tr><td>29</td><td>जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) – जिलेवार जानकारी निम्नानुसार हैः–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>जिले का नाम</th><th>जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बिलासपुर</td><td>78336.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही</td><td>230739.000</td></tr>
<tr><td colspan="2">योग</td><td>309075.000</td></tr>
</table></td><td>355 – 356</td></tr>
<tr><td>30</td><td>व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –
जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि का जिलेवार रकबा निम्नानुसार हैः–
<table>
<tr><th>क्र</th><th>जिले का नाम</th><th>स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि का रकबा (रकबा हे. में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बिलासपुर</td><td>723.378</td></tr>
<tr><td>2</td><td>गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही</td><td>865.417</td></tr>
<tr><td colspan="2">योग</td><td>1588.795</td></tr>
</table></td><td>357 – 358</td></tr>
<tr><td>31</td><td>व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में – जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल व्यपवर्तित वन भूमि का जिलेवार रकबा निम्नानुसार हैः–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>जिले का नाम</th><th>कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा (रकबा हे. में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बिलासपुर</td><td>50.439</td></tr>
<tr><td>2</td><td>गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही</td><td>369.285</td></tr>
<tr><td colspan="2">योग</td><td>419.724</td></tr>
</table></td><td>359 – 360</td></tr>
<tr><td>32</td><td>प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –
बिलासपुर वनमंडल एवं मरवाही अंतर्गत प्रस्तावित 10 कि.मी. के परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर एवं मरवाही वनमंडल का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।</td><td>361 – 362</td></tr>
<tr><td>33</td><td>15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –
खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।</td><td>363 – 364</td></tr>
<tr><td>34</td><td>वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –
वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण का कलेक्टर बिलासपुर एवं गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही का अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त है जिसे प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करते समय उपलब्ध करा दी जायेगी। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।</td><td>365 – 370</td></tr>
<tr><td>35</td><td>राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –
प्रस्ताव में आवेदित राजस्व वन भूमि का संबंधित कलेक्टर बिलासपुर का दिनांक 13.01.2023, एवं गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही का दिनांक 28.02.2022 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।</td><td>371 – 376</td></tr>
<tr><td>36</td><td>माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –
यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।</td><td>377 – 378</td></tr>
<tr><td>37</td><td>Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance –
यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।</td><td>379 – 380</td></tr>
</table>

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it** – प्रस्तावित परियोजना में मिट्टी की गुणवता पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। वनमंडलाधिकारी बिलासपुर, मरवाही एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	381 – 382
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है तदाशय का वनमंडलाधिकारी बिलासपुर, मरवाही एवं आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	383 – 384
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 –** केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	385 – 386
41	**पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** बिन्दु क्रमांक –2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।	387 – 394
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत** – परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग का एकलरेखीय परियोजना है। अतः उक्त प्रस्तावित वन क्षेत्र में वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत की आवश्यकता नहीं है।	395 – 396
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण –** प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का संबंधित वनमंडलाधिकारियों का वचन पत्र संलग्न है।	397 – 398
44	**प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण –** तीन वैकल्पिक रूट एवं उसके औचित्य को दर्शाते हुए मानचित्र संलग्न है।	399 – 421

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेबसाईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्नः – प्रस्ताव 1 प्रति में।

KRajput
7.3.23

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5–04/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 7 /03/2023

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ.।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर (नोडल)/मरवाही वनमंडल, छत्तीसगढ़।
4. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

KRajput

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

0/c